बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

।। संकल्प ।।

पटना, दिनांक..................

संख्या–2/सी5–08/13................/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं एल0पी0ए0 सं0–65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0–6450/03 एवं सिविल अपील सं0–4466/03 में दिये गये आदेश के अनुपालन में संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल–1336) को 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में संविलयित किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–10091/06 बिहार शिक्षा सेवा संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.07 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 द्वारा संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को निरस्त करते हुये, तत्कालिक प्रभाव से कोई वैयक्तिक एवं आर्थिक लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया।

3. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0– 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–418/2007 दायर किया गया तथा कुछ अन्य के द्वारा भी एल0पी0ए0 दायर किया गया।

(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0– 418/07 एवं अन्य समरुप एल0पी0ए0 में समेकित रुप से दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश में एल0पी0ए0 को खारिज किया गया।

4. बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 में दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0–26675–26676/10 दायर किया गया।

5. SLP (C) NOs- 26675-26676/2010 से उद्भुत Civil Appeal NOs.-8226-8227/2012 तथा I.A. NOs.- 19-20/2011 एवं अवमाननावाद संख्या–386–387/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.12 को समेकित रुप से पारित आदेश में एल0 पी0 ए0 सं0–418/2009 एवं अन्य एल0 पी0 ए0 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.10 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–10091/2006 में दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश को खारिज करते हुये अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को अभिखंडित किया गया है।

(ii) अधिसूचना संख्या–1209 दिनांक 07.07.06 को (Upheld) सही ठहराया गया तथा इसके अनुरुप कार्य आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

(iii) I.A. NOs.- 19-20/2011 को अभिखंडित करते हुये अवमाननावाद संख्या–386–387 / 2011 को निष्पादित किया गया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–8226–8227 / 12 में दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या–1855 दिनांक 19.11.07 को विलोपित करते हुये, संकल्प सं0–1209 दिनांक 07.07.06 को पुनर्जिवित किया गया।

7. अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के समान संविलियन का लाभ प्रदान करने हेतु राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षको द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकाए दायर की गयी। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–14402 / 06 ललन प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 संख्या–1620 / 2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रमशः दिनांक 18.03.2013 एवं दिनांक 20.01.2015 तथा एस0एल0पी0 संख्या–9744 / 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.07.15 को पारित आदेश के अनुपालन में राजकीय संस्कृत उच्च शिक्षा के वैसे शिक्षक जो 01.01.1977 को कार्यरत थे, दिनांक 15.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत हो चुके हैं तथा दिनांक 15.11.2000 के बाद बिहार राज्य में कार्यरत है या सेवा निवृत हुए है, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3521 दिनांक 11.04.78 के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में दिनांक 01.01.1977 से संविलयित किया जाता है।

8. ये पद मरणशील पद होगें।

9. संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ नियमानुसार देय होगा।

10. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या– .... पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– **अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना** को सी०डी० के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के अगामी अंक में इसे प्रकाशित कर 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0 / –
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या– .... पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– **महालेखाकार, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या– .... पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उ0 मा0), पटना/अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक (जन शिक्षा)/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी संयुक्त सचिव/विशेष निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उ0 मा0), पटना/बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी अवर सचिव तथा सभी प्राचार्य एवं शिक्षक, राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या– 30 पटना, दिनांक– 05/01/16

प्रतिलिपि– वेबसाईट कोषांग के आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

5/01/16